

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी **प्रभा गौतम**, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 35/2025 (रा.गु.नि.)
पंजीयन दिनांक 15.04.2025
G.C.M.S. NO. :- 2025/35

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

श्री साहिल खान पिता रसूल खान पठान उम्र 20 साल निवासी बोहरा गली,
पेच तलाई निम्बाहेड़ा, थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

-गैरसायल

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

- उपस्थिति : 1- अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार
2- श्री रत्नेश कुमार दमामी, अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय

दिनांक 09.07.2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल निम्बाहेड़ा, थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का



प्रकरण संख्या 35/2025 (रा.गु.नि.)
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री साहिल खान पिता रसूल खान निवासी पेच तलाई निम्बाहेड़ा, थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़

है। दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। यह व्यक्ति जुआ अधिनियम जैसे अवैध कृत्य कर अवांछनीय समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता त्रस्त है एवं इसके भय के कारण जन साधारण प्रायः इसके विरुद्ध गवाही देने अथवा शिकायत करने से कतराता है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब कर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री रत्नेश कुमार दमामी ने अधिकार पत्र पेश किया। गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल एवं अधिवक्ता गैरसायल ने इस्तगासे में वर्णित आरोपों को मौखिक रूप से स्वीकार कर आज ही प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया जिस पर उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। यह व्यक्ति जुआ-सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध गवाही देने का साहस ही नहीं करता है। गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासे अनुसार कुल 02 प्रकरण दर्ज हुए हैं:-

1- प्र.सं. 350/2024

धारा 13 आर. पी. जी. ओ.

2- प्र.सं. 296/2024

धारा 13 आर. पी. जी. ओ.



प्रकरण संख्या 35/2025 (रा.गु.नि.)
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री साहिल खान पिता रसूल खान निवासी पेच तलाई निम्बाहेड़ा, थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़

गैरसायल को उक्त दोनों ही प्रकरणों में सजा होकर अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त इस्तगासे के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से गैरसायल का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना व किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके भय के कारण साक्ष्य नहीं देने के संबंध में इस्तगासे में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्डा घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।

गैरसायल एवं अधिवक्ता गैरसायल ने मौखिक रूप से इस्तगासे में वर्णित आरोपों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि इस्तगासे में वर्णित सभी प्रकरण पुराने होकर उनका निस्तारण हो चुका है वर्तमान में गैरसायल ने अपने में सुधार कर मेहनत मजदूरी कर शान्तिपूर्वक अपना व अपने परिवार का जीवन-यापन कर रहा है। उक्त प्रकरणों के बाद गैरसायल के विरुद्ध किसी भी धारा के आपराधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं। मौहल्ले या गांव में कोई शांति भंग नहीं की है। गैरसायल के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला निर्णित नहीं हुआ है जिससे आम जनता में भय व्याप्त हो, या आम जनता की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा हो। गैरसायल भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 15, 17 व अध्याय 22 के अधीन आने वाले अपराध करने की दुष्प्रेरणा में न तो लगा हुआ है और न ही ऐसे अपराध कर रहा है। गैरसायल के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई है। अतः सहानुभूति का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैरसायल के विरुद्ध सन् 2024 में 02 प्रकरण दर्ज हुए हैं उन दोनों ही प्रकरणों में गैरसायल को सजा होकर दण्डित किया गया है। इस प्रकार गैरसायल जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत रहा है एवं उसके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है।



प्रकरण संख्या 35/2025 (रा.गु.नि.)
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री साहिल खान पिता रसूल खान निवासी पेच तलाई निम्बाहेड़ा, थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़

अतः राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल साहिल खान पिता रसूल खान पठान निवासी बोहरा गली, पेच तलाई निम्बाहेड़ा, थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को गुण्डा घोषित किया जाता है एवं 15 दिवस के लिए जिला चित्तौड़गढ़ से निष्काषित करने का आदेश दिया जाता है। गैरसायल को पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 31.07.2025 तक अपने आप को इस जिले से निष्काषित कर प्रतापगढ़ जिले में प्रवेश कर ले। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ में देता रहेगा। उक्त क्षेत्र से अन्यत्र जाने से पूर्व गन्तव्य स्थान का पूर्ण पता थानाधिकारी छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ के यहां दर्ज कराने के पश्चात वहां से प्रस्थान करेगा। थाना क्षेत्र छोटीसादडी में उपस्थिति के दौरान गैरसायल शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों, मेलों, हाट बाजार, सिनेमा हाऊस व मनोरंजन के स्थानों से अपने आप को दूर रखेगा। इस अवधि में तेज धारदार हथियार, अस्त्र अथवा आयुद्ध, विस्फोटक अथवा ज्वलनशील वस्तु आदि उसके कब्जे में नहीं रखेगा।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’

(प्रभा गौतम)

